BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

जड़ों की ओर वापसी, सतत प्रगति

13 अगस्त, 2025

प्रमुख विशेषताएं

1. **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)** पारंपरिक ज्ञान में निहित **रासायनिक-मुक्त, इको-सिस्टम-आधारित प्राकृतिक खेती** को बढ़ावा देने के लिये **नवंबर 2024** में शुरू की गई **एक स्टैंडअलोन** केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. मिशन का लक्ष्य **2,481 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय** के साथ **15,000 समूहों** के माध्यम से **7.5 लाख हेक्टेयर की खेती है। मिशन** 1 करोड़ किसानों को **सुविधा प्रदान करता है।**
3. **इसके तहत 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों को** लक्षित किया गया है। **70,000 से अधिक प्रशिक्षित कृषि सखियों** को अंतिम-मील इनपुट वितरण और किसान मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।
4. प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने को **प्रोत्साहित करने के लिए दो साल के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपये** का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
5. **जुलाई 2025 तक 10 लाख से अधिक किसानों** का नामांकन किया गया है। मिशन के तहत **1,100 मॉडल फार्म विकसित किए गए हैं** और इससे संबंधित **806 प्रशिक्षण संस्थान सक्रिय** हैं।

परिचय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक **रूप से समर्थित दृष्टिकोण,** स्थिरता, जलवायु लचीलापन और सुरक्षित भोजन **के साथ कृषि प्रथाओं को मजबूत करने के लिए एक बदलाव के रूप में 25 नवंबर, 2024 को** 15वें वित्त आयोग (2025-26) **तक एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)** को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और इको-सिस्टम को बहाल करना और अधिक जलवायु लचीलापन प्राप्त करने के लिए किसान को इनपुट लागत को कम करना है।

मिशन, 2,481 करोड़ रुपए (केंद्र का हिस्सा: 1,584 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा: 897 करोड़ रुपए) के प्रस्तावित परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पहले के भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) **का एक पुनर्गठित रूप है, जिसे** 2020-21 से **2022-23** तक **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)** के **तहत लागू किया गया था**।

मिशन का लक्ष्य 15,000 समूहों में 7.5 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र **में प्राकृतिक खेती शुरू करने**, एनएफ जैव-आदानों की आसान उपलब्धता के लिए **10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों (बीआरसी)** की स्थापना करना और प्राकृतिक खेती पर **1 करोड़ किसानों** के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक **रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पाद के लिए किसानों को** एक साधारण प्रमाणन प्रणाली **और** सामान्य राष्ट्रीय ब्रांड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन किसानों के लिए प्राकृतिक खेती में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए एक **अनुकूल समर्थन इको-सिस्टम** बनाता है। चूंकि प्राकृतिक खेती एक ज्ञान-गहन और स्थानीय कृषि-पारिस्थितिकी आधारित कृषि पद्धति है, इसलिए इसके लिए किसानों और समुदाय के सदस्यों में **व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता होती** है। इसलिए मिशन **ने ऑन-फार्म ज्ञान पर केन्द्रित विस्तार कार्यनीति अपनाई** है, जो वैज्ञानिक रूप से पूर्वोत्तर सीमा के किसानों के खेतों के अभ्यास से प्राप्त होती है। इसके माध्यम से **किसानों की निरंतर सहायता की** जाती है। यह मिशन एक **विकेन्द्रीकृत क्रॉस लर्निंग इको-सिस्टम को सक्षम** बनाता है, जो विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ किसानों और समुदायों के अभ्यास के पारंपरिक एनएफ ज्ञान को मिलाता है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)

वित्त वर्ष 2015-16 **में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना**, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने **के लिए केंद्र सरकार द्वारा** पहला व्यापक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम **है**। 6 दिसंबर, 2024 तक इस कार्यक्रम के तहत जारी कुल धनराशि **2,170.30 करोड़ रुपए** है।

प्राकृतिक खेती के सिद्धांत और व्यवहार

प्राकृतिक खेती (एनएफ) एक **रसायन मुक्त खेती** है। इसमें पशुधन (अधिमानतः गाय की स्थानीय नस्ल), एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविध फसल प्रणालियां शामिल हैं। एनएफ मिट्टी, पानी, माइक्रोबायोम, पौधों, जानवरों, जलवायु और मानव आवश्यकताओं के बीच प्राकृतिक इको-सिस्टम की अन्योन्याश्रयता को पहचानता है।

प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और पद्धतियों का उद्देश्य **स्थान-विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर कृषि में जलवायु स्थिरता को बढ़ाना** है जिससे **रासायनिक इनपुटों पर निर्भरता कम होती है** और प्राकृतिक इको-सिस्टम मजबूत होते हैं। यह **बहु-फसल प्रणालियों, बायोमास मल्चिंग** आदि के माध्यम से मृदा में कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके मृदा स्वास्थ्य और नमी की मात्रा में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्राकृतिक खेती लाभकारी कीटों, पक्षियों और सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति को बढ़ावा देकर जैव विविधता को भी बढ़ाती है जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण और परागण में सहायक होते हैं। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के साथ, प्राकृतिक खेती की प्रथाएँ कृषि लचीलापन बढ़ाती हैं, जिससे किसानों को चरम जलवायु घटनाओं से निपटने में मदद मिलती है।

कई राज्य पहले से ही प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और सफल मॉडल विकसित कर चुके हैं। **आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल** अग्रणी राज्यों में से हैं।

राज्य	योजना/पहल	प्रमुख विशेषताएं
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ)	रायथू साधिका संस्था, कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित; पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु लचीलापन पर केंद्रित है; इनपुट लागत को कम करता है।
गुजरात	सत पागला खेदुत कल्याण (एसपीकेके) और प्राकृतिक खेती के लिए पागला (पीएनएफ)	गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित; एसपीकेके के तहत गाय के रखरखाव के लिए 900 रुपये प्रति माह की सब्सिडी; पीएनएफ गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज (2020-21) के तहत जीवामृत किट के लिए 1248 रुपए सब्सिडी प्रदान करता है।

हिमाचल प्रदेश	प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान (पीके3) योजना	2018-19 में राज्य सरकार द्वारा घोषित; शून्य-रासायनिक खेती का लक्ष्य; 2018-19 में 500 किसानों के प्रारंभिक लक्ष्य को 2,669 किसानों तक पहुंचाया; 2019-20 तक, 54,914 किसानों ने 2,451 हेक्टेयर पर एनएफ को अपनाया; अब लक्ष्य 20,000 हेक्टेयर है।
राजस्थान	खेती में जान तो सशक्त किसान (पायलट स्कीम)	राज्य सरकार द्वारा 2019-20 में शुरू में टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू किया गया, 18,313 किसानों को प्रशिक्षित किया गया; 10,658 किसानों को प्राकृतिक इनपुट तैयार करने के लिए सब्सिडी कीमतों (50 प्रतिशत से 600 रुपए तक) पर उपकरण प्राप्त हुए।

एनएमएनएफ के उद्देश्य

एनएमएनएफ के उद्देश्य बहुआयामी हैं और **टिकाऊ कृषि के लिए भारत के लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं**:

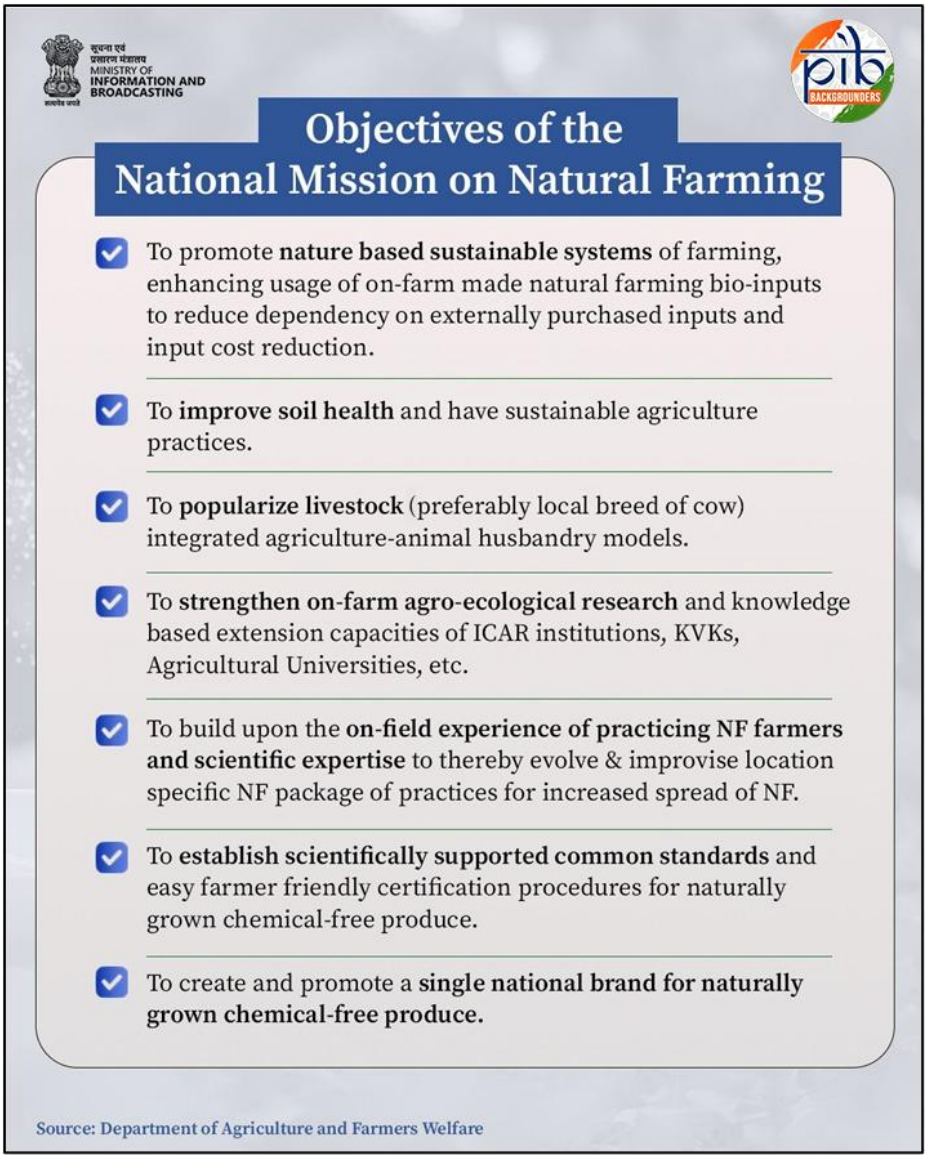

इन लक्ष्यों का उद्देश्य न केवल **उत्पादकता** बल्कि कृषि में **पारिस्थितिक** और **आर्थिक स्थिरता** को भी मजबूत करना है।

एनएमएनएफ की विशेषताएं

इस योजना में 15,000 प्राकृतिक खेती समूहों **के गठन की परिकल्पना की गई थी, जहां प्रत्येक क्लस्टर** लगभग 50 हेक्टेयर का होगा। इसके तहत **लगभग** 125 किसानों **के सन्निहित क्षेत्र का गठन किया जाएगा**। इन समूहों की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। **नए किसान** प्रत्येक फसल के मौसम की शुरुआत **में प्राकृतिक खेती क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं**।

10,000 आवश्यकता-आधारित **जैव-इनपुट संसाधन केंद्र** इन समूहों के किसानों के लिए एनएफ इनपुट की आसान उपलब्धता के साथ समर्थन करेंगे। इस प्रकार बाहरी रूप से खरीदे गए रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम करेंगे। प्राकृतिक इनपुटों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को काफी बढ़ाता है और समग्र पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता है। बीआरसी की स्थापना परम्परागत खेती करने वाले किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों, स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों आदि द्वारा की जा सकती है।

इसके अलावा, स्कीम में एनएफ पद्धतियों पर किसानों का मार्गदर्शन करने तथा **स्व-सहायता समूहों, आंगनवाड़ी, ग्राम सभा, कृषि विज्ञान केन्द्रों** आदि **को शामिल करके समुदाय व्यापी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक एनएफ क्लस्टर में** दो कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की तैनाती की परिकल्पना की गई है।

सभी हितधारकों के लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।

- एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों में **कृषि विज्ञान केन्द्रों** (केवीके), **कृषि विश्वविद्यालयों**, **स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों आदि** द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रावधान हैं।
- ये प्रशिक्षण प्राकृतिक कृषि पद्धतियों जैसे एनएफ इनपुट जैसे **बीजामृत** आदि तैयार करने, भूमि की तैयारी, कीट और रोग प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं आदि पर प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षित किसानों के लिए, इस योजना में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक उर्वरकों (एनएउ) को बढ़ावा देना है। प्रत्येक किसान छोटी जोत पर प्राकृतिक उर्वरकों की खेती शुरू कर सकता है और अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक एनएमएनएफ के तहत सहायता के लिए पात्र होगा। छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान एनएमएनएफ के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, **केन्द्र/राज्य, जिला** और **ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितियों** में **मिशन यूनिट को** फार्म-स्तरीय सूचकों,

किसानों की प्रगति **और** सभी क्लस्टरों में एनएफ के विस्तार **की नियमित निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है।**

एनएमएनएफ कार्यान्वयन की वास्तविक समय जियो-टैग और **संदर्भित निगरानी** एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

कृषि विज्ञान केंद्र

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की अवधारणा भारत के कृषि अनुसंधान के जनक **प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन** द्वारा तैयार की गई थी। केवीके **कृषि प्रौद्योगिकी के** ज्ञान और संसाधन केंद्र **के रूप में कार्य कर रहे हैं,** जो जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) को विस्तार प्रणाली और किसानों के साथ जोड़ने के लिए सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों की पहल का समर्थन करते हैं।

बीजामृत

बीजामृत एक प्राचीन जैविक सूत्रीकरण है जिसे आमतौर पर भारत में **जैविक** और **प्राकृतिक खेती** में बीज उपचार **के रूप में** उपयोग किया जाता है। यह **कम लागत वाला सूत्रीकरण** मुख्य रूप से डेयरी अवशिष्ट (जैसे, गाय के गोबर और गोमूत्र) और वन मिट्टी का एक उत्पाद है, जिसे अक्सर चूना पत्थर के साथ पूरक किया जाता है।

अभिसरण और नीति एकीकरण

मिशन के प्रभावशाली परिणाम के लिए, **केंद्र** और **राज्य सरकारों** दोनों की **विभिन्न योजनाओं, जैसे कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के** साथ अभिसरण की परिकल्पना की गई है।

केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकारों के अलावा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मौजूदा सहायता संरचनाओं के साथ अभिसरण का पता लगाया जा रहा है **ताकि स्थानीय पशुधन संख्या में वृद्धि की** जा सके, **केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों/क्षेत्रीय चारा स्टेशनों पर एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास, स्थानीय किसानों के बाजार, एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) मंडियों, हाट, डिपो** आदि इसके अतिरिक्त, **छात्रों** को ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव **(आरएडब्ल्यूई) कार्यक्रम के** माध्यम से एनएमएनएफ में शामिल किया जाएगा **और एनएफ पर स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम समर्पित किए जाएंगे।**

कृषि उपज मंडी समिति
एपीएमसी **राज्य नियंत्रित बाजार हैं जो** किसानों को बाजार लिंकेज **प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।**

एनएमएनएफ के कार्यान्वयन में प्रगति

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **किसान नामांकन, मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास** और **प्रशिक्षण कार्यक्रम** जैसे कार्यकलाप **शुरू हो** गए हैं। योजना के दिशानिर्देश 26 दिसंबर 2024 **को प्रसारित किए गए थे।** मार्च 2025 **तक** 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों **की वार्षिक कार्य योजना (एएपी)** को मंजूरी दी गई है। योजना के अनुमोदन के बाद से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी** अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के अनुसार **177.78 लाख रुपये जारी किए गए** हैं। **28 मार्च, 2025 तक 70,021 कृषि सखियों** को मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती के तरीकों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसके अलावा, **22 जुलाई, 2025** तक:

1. प्राकृतिक खेती पर 3900 से **अधिक** वैज्ञानिकों, **किसान मास्टर ट्रेनर्स** (एफएमटी) और **सरकारी अधिकारियों** को प्रशिक्षित किया गया है और मिशन के तहत लगभग **28,000 सीआरपी** की पहचान की गई है।
2. **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 806 प्रशिक्षण संस्थानों** अर्थात् कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों को शामिल किया गया है।
3. **सीआरपी और किसानों के प्रशिक्षण के लिए** 1,100 प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म विकसित किए गए हैं।
4. **इस स्कीम में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती, प्रशिक्षण, पशुधन के पालन-पोषण, प्राकृतिक कृषि आदानों को तैयार करने आदि के लिए प्रति किसान प्रति वर्ष प्रति वर्ष 4000/- रुपये के** उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
5. **मिशन के तहत 10 लाख से अधिक किसानों** को नामांकित किया गया है।
6. **7,934 बीआरसी** की पहचान की **गई है**, जिनमें से **2,045 बीआरसी** स्थापित **किए गए हैं।**

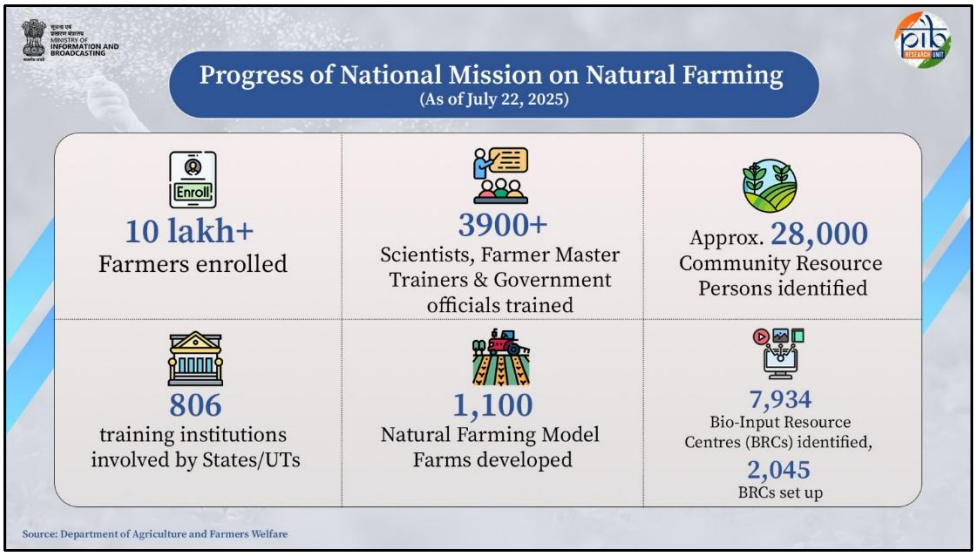

इसके अतिरिक्त, **प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली** भागीदारी गारंटी प्रणाली **(पीजीएस)- भारत के तहत राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएफ),** गाजियाबाद **द्वारा कार्यान्वित की जा रही** है। **एनएमएनएफ के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी के लिए** एक ऑनलाइन पोर्टल (https://naturalfarming.dac.gov.in/) विकसित किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की पहल

1. **राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र को** राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएफ) के **रूप में पुनर्गठित किया गया** है और प्रमाणन के लिए मानक तैयार कर रहा है।
2. **मैनेज** को "प्राकृतिक खेती विस्तार के लिए ज्ञान भागीदार" **के रूप में नामित किया गया है।** इसने देश भर से सर्वोत्तम पद्धतियों को एकत्र करना शुरू कर दिया है।
3. **आईसीएआर-केवीके** ने **3.6 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है।** 539 केवीके **में प्रस्तुतियां की गई हैं** और यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए अनुसंधान और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया है। एनएफ फसल प्रणाली **पद्धतियों के पैकेज** (पीओपी) **को विकसित और वैधीकृत करने के लिए** इसके 20 संस्थानों **के नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान शुरू किया गया है। रबी मौसम से 425 केवीके** (प्रति वर्ष 68,000 किसानों का प्रशिक्षण और 8,500 प्रदर्शन) **के माध्यम से "प्राकृतिक खेती" का** आउट-स्केलिंग किया जाएगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत के कृषि प्रतिमान में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक आधुनिक डिजिटल और नीतिगत ढांचे के भीतर पारंपरिक, कम-इनपुट खेती को संस्थागत बनाकर, मिशन किसानों को एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है जो पारिस्थितिक रूप से ध्वनि, आर्थिक रूप से व्यवहार्य

और सामाजिक रूप से समावेशी है। मजबूत प्रशिक्षण नेटवर्क, पारदर्शी निगरानी और वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ, मिशन भारतीय कृषि के लिए एक स्थायी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

https://naturalfarming.dac.gov.in/NaturalFarming/Concept

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077094

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1694801

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146937

https://naturalfarming.dac.gov.in/AboutUs/MissionAndObjectives

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2082783

https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3202_Am12Sz.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1303_45FwJ6.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AS24_5nMJZX.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AS24_5nMJZX.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2052_TioaAh.pdf?source=pqals

कृषि विकास केंद्र

https://kvkdelhi.org/profile/

गुजरात सरकार

https://goau.gujarat.gov.in/writereaddata/Images/pdf/Beejamrit_paper_WJMB.pdf

मिजोरम सरकार

https://kvklawngtlai.mizoram.gov.in/uploads/attachments/2023/04/8e56d0af179ede53ca16927408b18f4f/role-of-kvk.pdf

****

पीके/केसी/केके/एचबी